

रही न्यायहित में वार्दा अधिवक्ता को उपस्थित होकर  
समस्त प्रोसेज पेश साक्ष्यवादी पेश कले हेतु न्यायहित  
में एक अन्तिम अवसर दिया जाता है।  
पञ्जावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 11.3.26

को पेश है।



11.3.26

पञ्जावली पेश हुई व कुलाय पक्षकार उपस्थित  
नहीं हुए पक्षकारान दिनांक 18.6.25, 22.12.25 एवं  
25.2.26 को भी उपस्थित नहीं हुए है न्यायालय  
द्वारा कठ-कठकर आवेजें लगावाई गई बावजूद  
इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ है जिससे जाहिर है  
कि वार्दा अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है वही वाद  
चलाना नहीं चाहता है।

अतः वार्दा का वाद आदेश 9 नियम 8 के  
तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में वारिज किया जाता  
है निर्दिष्ट लेट्सजलाज सुनाया गया प्रकरण कैमल-  
शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(ए. लॉर्ड इण्ड)  
IAS